UPAD010024722026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.1 प्रयागराज।
जमानत प्रार्थना संख्या– 874/2026

सुभाष चन्द्र पटेल पुत्र स्व. शंकर लाल पटेल,
निवासी–ग्राम कुसहरा कला, थाना– मऊआईमा, जनपद– प्रयागराज।

.....अभियुक्त।

–प्रति–

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन।

अपराध संख्या–52 सन 2026
धारा– 105,61(2)(a) बी.एन.एस.
थाना–फूलपुर, जनपद– प्रयागराज।

दिनांक–24.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **सुभाष चन्द्र पटेल** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र समर्थित शपथपत्र अपराध सं. 52 सन 2026, धारा–105, 61(2)(a) भा.न्या.सं., थाना फूलपुर, प्रयागराज के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। जो सत्र न्यायालय से अन्तरित होकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं. 4, प्रयागराज द्वारा पारित जमानत निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 16.02.2026 एवं 10.03.2026 की सत्यप्रति संलग्न की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थना पत्र में कथन है कि उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभियुक्त के पैरोकार चन्द्रभान सिंह पुत्र राम सिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) के तर्को को सुना एवं प्रार्थनापत्र व अभियोग दैनिकी का सम्यक परिशीलन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना में अभिकथन है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी पेशे से अधिवक्ता है तथा उसका उक्त अस्पताल से अपना वहां होने वाले इलाज से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी अपनी पत्नी को लेने उक्त अस्पताल गया था, वहां पर पहुंचने पर भीड़ लगी थी कोई एम्बुलेंस न होने के कारण मृतका के परिवारजनों व कुछ लोगों के कहने पर कि उक्त महिला को किसी अन्य अस्पताल में ले जाने की बात कहने लगे तो किसी ने प्रार्थी को गाली गुप्ता देते हुए कहा कि ये भी उन्हीं का रिश्तेदार है, मारो साले को तो प्रार्थी अपनी जान बचाने के लिए वहां से हट गया। प्रार्थी द्वारा न तो मृतका

का इलाज किया गया है एवं न तो उसका उक्त अस्पताल से कोई वास्ता सरोकार है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी साबित होता है कि प्रार्थी का इलाज से दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन बाद लिखाया गया है एवं देरी का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी का न तो दवा देने की कोई भूमिका है एवं न ही इंजेक्शन और न ही इलाज का कोई भूमिका है जिससे मृतका की मृत्यु हुयी है। प्रार्थी के पेशे से अधिवक्ता होने के कारण पुलिस से खुन्नस होते रहने के कारण पुलिस द्वारा कहने पर उससे उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अनुपूरक जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि अपराध सं.52/2026 धारा 105 भा.न्या.सं. के मुकदमें गिरफ्तार होकर कारागार में निरुद्ध है। विवेचक द्वारा अपराध सं.52/2026 में धारा 61(2)(a) भा.न्या.सं. की बढ़ोत्तरी कर दिया गया है जो अवर न्यायालय द्वारा रिमाण्ड में 61(2)(a) भा.न्या.सं. की बढ़ोत्तरी किया जा चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा धारा 105 के साथ 61(2)(a) भा.न्या.सं. में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सम्बन्धित अभियोग की प्राथमिकी के अनुसार वादी बर्फीलाल उर्फ संजय कुमार द्वारा थाना फूलपुर, प्रयागराज में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर दिनांक 12.02.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त सुभाष चन्द्र पटेल एवं सहअभियुक्तगण डा. मीरा पटेल, डा. सुखदेव पटेल, डा. दीपशिखा के विरुद्ध प्राथमिकी संख्या–52 सन 2026, धारा–106(1)बी.एन.एस. में अभियोग पंजीकृत किया गया। वादी बर्फी लाल उर्फ संजय कुमार के द्वारा प्राथमिकी में अभिकथित किया गया कि दिनांक 11.02.2026 को सायंकाल 5.00 बजे वादी की पुत्री अंगूरा पत्नी राजाराम अपना इलाज कराने बगल के गांव नरई में डा. मीरा पटेल व डा. सुखदेव पटेल तथा डा. दीपशिखा के पास इलाज कराने गयी थी जहां पर इलाज कराने गयी थी वहां पर इलाज के दौरान इन लोगों द्वारा उसकी पुत्री अंगूरा को गलत दवा या सूई लगाने से उसकी तबीयत खराब हो गयी। उसकी पुत्री तीन माह से गर्भवती थी। इलाज के दौरान उसकी पुत्री उनके अस्पताल में मर गयी। क्लीनिक संचालिका डा. मीरा पटेल द्वारा फोन से मोबाइल नं. 78397XXXXX तथा उसके पति डा. सुखदेव पटेल के मोबाइल से 93054XXXXX इस नम्बरों से फोन उसकी पत्नी गुलाबकली के पास दूसरे मोबाइल नं. 90447XXXXX पर भी उसकी पत्नी के मोबाइल नं. 93054XXXXX पर फोन आया कि उसकी पुत्री अंगूरा को सूई तथा दवा लगाने के बाद बेहोश हो गयी है। जब उसकी पत्नी मौके पर पहुंची तो उसकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी थी। डा. मीरा पटेल के दामाद सुभाष चन्द्र पुटेल अज्ञात के वाहन क्रमांक UP70FF8193 से लाश को लेकर जा रहे थे। गांव व घर वालों ने वाहन सहित पुत्री की लाश सहसों से वापस घर से आये हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार वादी बर्फीलाल उर्फ संजय कुमार द्वारा थाना फूलपुर में प्रार्थी/अभियुक्त सुभाष चन्द्र पटेल एवं सहअभियुक्तगण डा. मीरा पटेल, डा. सुखदेव पटेल, डा. दीपशिखा के विरुद्ध अपराध संख्या–52 सन 2026, धारा–106(1) बी.एन.एस. में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा वादी बर्फीलाल उर्फ संजय का कथन

अंकित किया गया एवं वादी के निर्देशन पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वादी मुकदमा ने अपने कथन अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस. में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुये कथन किया है कि दिनांक 11.02.2026 को सायंकाल 5.00 बजे उसकी पुत्री अंगूरा पत्नी राजाराम अपना इलाज कराने बगल के गांव नरई में डा. मीरा पटेल व डा. सुखदेव पटेल तथा डा. दीपशिखा के पास इलाज कराने गयी थी जहां पर इलाज कराने गयी थी वहां पर इलाज के दौरान इन लोगों द्वारा उसकी पुत्री अंगूरा को गलत दवा या सूई लगाने से उसकी तबीयत खराब हो गयी। उसकी पुत्री तीन माह से गर्भवती थी। इलाज के दौरान उसकी पुत्री उनके अस्पताल में मर गयी। क्लीनिक संचालिका डा. मीरा पटेल द्वारा फोन से मोबाइल नं. 7839773957 तथा उसके पति डा. सुखदेव पटेल के मोबाइल से 9305466282 इस नम्बरों से फोन उसकी पत्नी गुलाबकली के पास दूसरे मोबाइल नं. 9044789381 पर भी उसकी पत्नी के मोबाइल नं. 9305466282 पर फोन आया कि उसकी पुत्री अंगूरा को सूई तथा दवा लगाने के बाद बेहोश हो गयी है। जब उसकी पत्नी मौके पर पहुंची तो उसकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी थी। डा. मीरा पटेल के दामाद सुभाष चन्द्र पुटेल अज्ञात के वाहन क्रमांक UP70FF8193 से लाश को लेकर जा रहे थे। गांव व घर वालों ने वाहन सहित पुत्री की लाश सहसों से वापस घर से आये हैं। उसे पता चला कि इन लोगों के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिना कोई रजिस्ट्रेशन के एक कमरे में क्लीनिक खोलकर चला रहे है। उसकी बेटी को गलत दवा व इंजेक्शन देने की वजह से मृत्यु हुयी है। मृतका अंगूरा देवी की मरणोत्तर आख्या प्राप्त कर उसका अंकन अभियोग दैनिकी में किया गया। मरणोत्तर आख्या में

साक्षी श्रीमती गुलाबकली ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी बेटी अंगूरा तीन महीने से गर्भवती थी। दि. 11.02.2026 की समय 5.00 बजे की बात है। इसके पहले उसकी बंटी को मीरा देवी फोन करके बुलाती थी कि आओ दवा दे दें, परन्तु उसकी बेटी यही कहती थी कि अभी वह ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। परन्तु मीरा देवी दबाव बनाकर उसक बेटी को बुलाया। उसकी बेटी जब उनके कमरे पर गयी तो वहां पर मीरा देवी ने बताया कि उसकी बेटी डाक्टर है जो महिलाओं का गर्भपात भी करा देती है। यह कहकर उसकी बेटी को पता नहीं कौन सी दवा व इंजेक्शन दी जिससे उसकी बेटी बेहोश हो गयी तथा डा. मीरा पटेल, डा. सुखदेव, डा. दीपशिखा, डा. सुभाष पटेल द्वारा बिना उसकी बेटी के सहमति के उसका गर्भपात कराया जा रहा था जिससे उसकी बेटी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। विपक्षीगणों के पास कोई वैध चिकित्सा प्रपत्र नहीं है। जब उसकी बेटी की सीरियस कंडीशन हो जाने पर उन लोगों द्वारा और पैसे की मांग की गयी तो पैसों को लाने के लिए जब वह अपने घर गयी तो मीरा पटेल व उसकी पति सुखदेव पटेल द्वारा उसे सूचना दिया गया कि उसकी बेटी की हालत गम्भीर हो गयी है। तब उसे बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। यह कहकर डा. मीरा पटेल, डा. दीपशिखा पटेल, डा. सुखदेव पटेल द्वारा अपने दामाद सुभाष पटेल के गाड़ी से UPFF8193 से उसकी बेटी अंगूरा देवी को ले करके सहसों की तरफ चले गये। जब वह अपने घर वालों के साथ वहां पहुंची तो उसे ज्ञात हुआ कि उसकी बेटी की मृत्यु मीरा देवी के घर में ही गर्भपात कराने के दौरान हो गयी थी। इन लोगों द्वारा बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ही अस्पताल चलाया जा रहा था। साक्षी श्रीमती आशा देवी एवं श्रीमती संगीता देवी ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। विवेचना के अन्तर्गत मरणोत्तर आख्या, मृतका का उपचार करने वाले चिकित्सकों के पास वैध प्रमाणपत्र नहीं पाये जाने एवं न ही इलाज कराये जाने वाले भवन का पंजीकरण पाये जाने

पर धारा 106(1) भा.न्या.सं. को धारा 105 भा.न्या.सं. में बदला गया। अभियुक्त सुभाष चन्द्र पटेल को गिरफ्तार किया गया एवं उसका कथन अंकित किया गया जिसमें उसने बताया कि उसकी सास डा. मीरा पटेल व उसकी साली डा. दीपशिखा पटेल तथा ससुर सुखदेव पटेल है। अभी ये लोग नये डाक्टर बने हैं। उसकी साली दीपशिखा जी.एन.एम. का कोरर्स कर रही है। अभी कोई अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। अपने नरई स्थित घर पर ही महिलाओं का उपचार किया जाता है। उपचार हेतु अंगूरा देवी आयी थी जिनका उपचार के दौरान हालात काफी खराब हो गया जिन्हें इलाहाबाद ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी थी। इस कार्य में वे चारों लोग वहां मौजूद थे। विवेचक द्वारा मृतका अंगूरा देवी का उपचार करने वाले अभियुक्तगणों का चिकित्सीय प्रमाणपत्र एवं उपचार के रूप में प्रयोग किये गये भवन के पंजीकरण व अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां से रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अंकन अभियोग दैनिकी में किया गया। घटना के स्वतन्त्र साक्षी श्रीमती गुड्डी देवी एवं श्रीमती गणेश का कथन अंकित किया गया। गुड्डी देवी ने कथन किया कि दि. 11.02.2026 को सायंकाल अंगूरा देवी उसके साथ खेत में काम कर रही थी कि मीरा पटेल का फोन आया। वह एवं अंगूरा देवी साथ में नरई स्थित डा. मीरा पटेल के अस्पताल में जाकर अंगूरा देवी के इलाज कराने के लिए गयी थी। रोड होने के कारण वहां से गणेश बिन्द भी गुजर रहे थे जहां पर पूर्व में सुभाष पटेल, सुखदेव पटेल बाहर खड़े थे जिनके द्वारा मीरा पटेल व उसकी बेटी दीपशिखा पटेल को अन्दर से बुलाकर अंगूरा देवी को अन्दर भेज दिया गया था एवं सुभाष पटेल व सुखदेव पटेल अस्पताल के बाहर खड़े रहे। उसने जब अन्दर जाना चाहा तो उन लोगों ने उसे मना कर दिया। कुछ देर बाद गणेश बिन्द वहीं आकर खड़ा हो गया था। कुछ देर बाद जब मीरा पटेल, दीपशिखा पटेल, सुखदेव पटेल द्वारा अपने दामाद सुभाष पटेल के बाड़ी से अंगूरा देवी को ले करके सहसों की तरफ चले गये। जिसकी जानकारी उसने अंगूरा के घर वालों को दी थी। बाद में पता चला कि मीरा पटेल व दीपशिखा पटेल ने बिना वैध चिकित्सीय लाइसेन्स के गलत उपचार किया जिससे अंगूरा की मृत्यु हो गयी थी। श्रीमती गणेश बिन्द ने भी श्रीमती गुड्डी देवी के कथन का समर्थन किया है। मृतका श्रीमती अंगूरा देवी का बिना वैध लाइसेन्स के इलाज करने वाली अभियुक्तगण श्रीमती मीरा पटेल व दीपशिखा पटेल के विरुद्ध धारा 105 भा.न्या.सं. तथा सुखदेव पटेल, सुभाष चन्द्र पटेल के विरुद्ध धारा 105/61(2) भा.न्या.सं. में अग्रिम विवेचना किये जाने का अंकिन अभियोग दैनिकी में किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में संकलित साक्ष्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर षड्यन्त्र करके मृतका अंगूरा देवी का बिना वैध चिकित्सकीय प्रमाणपत्र व बिना पंजीकृत अस्पताल में गर्भपात का इलाज किया जा रहा था जहां उसकी मृत्यु हो गयी। मरणोत्तर आख्या में मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने पर बिसरा सुरक्षित रखा गया है। स्वतन्त्र साक्षियों व अन्य साक्षियों के साक्ष्य व अन्य प्रपत्रों से प्रश्नगत अभियुक्त की प्रकरण में संलिप्तता प्रकट होती है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः अपराध की प्रकृति, प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता व उसके द्वारा कारित अपराध के सामाजिक प्रभाव के दृष्टिगत प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सुभाष चन्द्र पटेल का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 874 सन 2026, सम्बन्धित अपराध सं. 52/2026, धारा 105, 61(2)(a) भा.न्या.सं., थाना–फूलपुर, जनपद प्रयागराज, निरस्त किया जाता है।

दिनांक 24.03.2026

(राम प्रताप सिंह राणा)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं. 1
प्रयागराज।
J.O. Code- U.P.6279